दस रुपये TEN RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

45

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी क्रमांक R-2179-II/12 / सन्

विश्वनाथ आयु लगभग 39 वर्ष पिता गौरेलाल कुम्हार
निवासी ग्राम चन्द्रनगर तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0 प्र0 -- निगरानीकर्ता

बनाम

राज्य शासन मध्य प्रदेश -- उत्तरवादी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0सं0
विरुद्ध अपर कलैक्टर महोदय, छतरपुर के निगरानी
प्रकरण क्रमांक 19 अ 19/4/ 11- 12 में पारित
आदेश दिनांक 5/3/12 से दुखित होकर

1830
3-7-12

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है:-

1/ यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार राजनगर मण्डल चन्द्रनगर के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत विशेष उपबंध अधिनियम 1984 भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना कि धारा 3 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 61/2 रकवा 10.11 एकड़ मैसे रकवा 4 एकड़ स्थित ग्राम चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आम सूचना का प्रकाशन कराकर दिनांक 24/10/11 को आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि शासन द्वारा बंटन पर प्रतिबंध लगाया गया है आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है ।

2/ यह कि तहसीलदार राजनगर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपर कलैक्टरछतरपुर के न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 191 / अ 19/4/11-12 प्रस्तुत किया जिसे विद्वानअपर कलैक्टर द्वारा दिनांक-5/3/12 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग

(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2179-दो/2012 जिला छतरपुर विश्वनाथ विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 191/निग./अ-19(4)/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-07-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगां । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

	सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के.जैन) सदस्य 4.1.19	